दूरभाष- 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : 1703/05/76/एक/2013-14 दिनांक : 09 सितम्बर 2013

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-गोरखपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में सूडा द्वारा डूडा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना। xkj[kij

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:- (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	आगणित धनराशि	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	सेन्टेज की धनराशि	अवमुक्त की गई धनराशि	बैंक/खाता संख्या (ट्रान्सफर धनराशि)
1	गोरखपुर	न0नि0-गोरखपुर	वार्ड सं0-07, मानवेला में नईम के घर से डा0 राशिद के घर होते हुये रहमतुल्ला इमामबाड़ा तक एवं किस्टोफर के मकान से माटीन बधई व रफूस के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	18.020	9.010	1.000	8.010	PNB 4755000100021252
2	गोरखपुर	तदैव	वार्ड सं0-07, मानवेला में झुगिया गेट से शेरखान के मकान होतु हुये नयी मस्जिद तक इण्टरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण कार्य।	31.040	15.520	1.720	13.800	
3	गोरखपुर	तदैव	वार्ड सं0-03, जंगल तुलसीराम में श्री बजरंगी के मकान से श्री लल्लू के मकान तक, वार्ड सं0-03, जंगल तुलसीराम में श्री गुलाम रसूल के मकान से मस्जिद तक, वार्ड न0-22, बिछिया में श्री परमदेव से राजेन्दर शर्मा एवं श्री पारस से श्री भारती के मकान तक एवं वार्ड न0-22, बिछिया में निर्माण कार्य।	34.230	17.115	1.900	15.215	
4	गोरखपुर	तदैव	वार्ड सं0-43, रामपुर नयागांव में रामवृक्ष के घर से काजू के घर होते हुये अशोक के घर तक एवं वार्ड सं0-43, रामपुर नयागांव में मिठाई लाल के घर से केशर, प्रहलाद के घर होते हुये घनश्याम के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	30.340	15.170	1.690	13.480	
5	गोरखपुर	तदैव	वार्ड सं0-55, इस्लामिया नगर मे फैजुल हसन के घर से इरशाद, बब्लू, मंजूरूल हसन, दोहा के घर तथा मस्जिद होते हुए फैजुल नवी के घर तक, वार्ड सं0-55, इस्लामिया नगर मे मुजफर के घर से गोहम्मद इस्लाम के घर होते हुये नेमुल हक के घर तक एवं वार्ड सं0-55, इस्लामिया नगर में निर्माण कार्य।	36.230	18.115	2.010	16.105	

(58/2)

दूरभाष– 22..
2286..
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–22600..

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 ·SUDA·

6	गोरखपुर	तदैव	वार्ड सं0–55, जामिया नगर में पिच रोड से मकबूल के घर तक तथा पिच रोड से आजम के घर तक एवं वार्ड सं0–55, जामिया नगर में फैजुन नबी के घर से आसित अली, नन्हे सलाउद्दीन, तारीक, इस्तियाक के घर होते हुये सगीर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य	39.730	19.860	2.210	17.650	
7	गोरखपुर	तदैव	वार्ड सं0–59, घोषीपुरवा गीतावाटिका में शौकत के घर से कल्लू के घर तक, अनवर हुसैन के घर से अजमत अली के घर तथा मुबारक के घर से राशिद के घर तक, वार्ड सं0–59, घोषीपुरवा गीतावाटिका में रहमत अली के घर से शोहराब अली के घर होते हुये इबरार अहमद के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	32.970	16.485	1.830	14.655	
8	गोरखपुर	तदैव	वार्ड सं0–14, बहरामपुर में रियाज के घर से सलीम, याकूब अली समसुद्दीन के घर होते हुये हबीबुल्लाह के घर तक, वार्ड सं0–14, बहरामपुर में मोहम्मद हयाक के घर से नसीम के घर होते हुये माहम्मद कलाम के घर तक, वार्ड सं0–14, बहरामपुर में कमाल अहमद अंसारी के घर से	34.420	17.210	1.910	15.300	
9	गोरखपुर	तदैव	वार्ड सं0–38, शक्ति नगर में मकबूल के घर से सोबराती के घर, नूर मोहम्मद के घर से खालिद के घर तक, खलील अहमद के घर से बकरीदन के घर तक तथा यासीन के घर से नाटे के घर तक, वार्ड सं0–38, शक्ति नगर में तुलसी के घर से कुदुरूम के घर तक एवं वार्ड सं0–38, शि	37.600	18.800	2.090	16.710	
10	गोरखपुर	तदैव	वार्ड सं0–50, तुर्कमानपुर में जय किशोर के घर से गिरिश के घर तक, गोप के घर से नब्बे खाँ के घर तक तथा सिपाही के घर से इद्रिश के घर तक, वार्ड सं0–50, तुर्कमानपुर में महम्मूद के घर से मुकदर अली, सैमुन निशा के घर होते हुये बदरूद्दी के घर तक, वार्ड सं0 इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	30.400	15.200	1.690	13.510	
11	गोरखपुर	तदैव	वार्ड सं0–55, इस्लामिया नगर में बी0बी0 मणि के घर के सामने से रामजनम एवं बुद्धिराम के घर होते हुये गैसुद्दीन के घर तक, वार्ड सं0–55, इस्लामिया नगर में यासीन के घर से कमालुद्दीन के घर होते हुये अब्दुल कलाम के घर तक, वार्ड सं0–55, इस्लामिया नगर में यासीन के घर तक इंटरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	24.160	12.080	1.340	10.740	
12	गोरखपुर	तदैव	वार्ड सं0–07, मानवेला में असलम के घर से बान्के मौर्या तथा परशुराम भारतीय के घर से मन्दिर तक इण्टरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण कार्य।	31.800	15.900	1.770	14.130	
			योग	**380.94**	**190.465**	**21.16**	**169.305**	

58/3

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

4– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

5– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013–14 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

6– उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

7– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

9– **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये 75 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि शासन से प्राप्त कर जनपद को अवमुक्त की जा सके।**

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. संयुक्त निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक